न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

नारायण बनाम कन्हैयालाल वगैरह

किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 486 / 2025 (अजमेर)

नोटप्रेस में खारिज
17/12/25

	श्री कुलदीपसिंह लखावत	
06.10.2025	नारायण बनाम कन्हैयालाल वगैरह (2025 / 486) यह अपील श्री कुलदीपसिंह लखावत एडवोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर मु0 अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 00278 / 2017 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 17.12.2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
17.12.25	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलार्थी उप.। अभिभाषक श्री अम्बरिश गुर्जर ने निवेदन किया कि अपील को आगे नहीं चलाकर नोटप्रेस में खारिज करवाना चाहते है। अतः अपील अपीलार्थी नोटप्रेस किये जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली [illegible] होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	Note Prepared 17/12/25

FOR COPYING FEES ONLY

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर

अपील टी.ए. संख्या 486/2025 अजमेर

2025/486 2025/486

103। श्री घनश्याम सिंह राठौड़ ने अपील पेश की, हाजर करवाई। 6/10/25

1. नारायण नन्दवानी पुत्र ठाकुरदास जाति सिन्धी, निवासी 6 जीवनदीप कॉलोनी वैशालीनगर, अजमेर।
2. स्काई लुक होटल एण्ड रिसोर्ट प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर नारायण नन्दवानी , निवासी 6 जीवनदीप कॉलोनी वैशालीनगर, अजमेर।

........*अपीलार्थीगण*

बनाम

कन्हैयालाल पुत्र हरदेव जाति गुर्जर, निवासी ग्राम काकरदा भूणाबाय, तहसील व जिला अजमेर।

--प्रत्यर्थी

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी अजमेर जिला अजमेर।

--तरतीबी प्रत्यर्थी

486/2025 6.10.25

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर दिनांक 5.8.2025 जो प्रकरण संख्या 00278/2017 में पारित किया गया।

मान्यवर जी,

अपीलार्थीगण माननीय न्यायालय से निम्न निवेदन करते है कि :-

(अ) यह कि अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक राजस्व वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर के न्यायालय में ग्राम काकरदा भूणाबाय की वर्किंग जमाबंदी के खसरा संख्या 240, 241, 244 जिसके आधार जमाबंदी के खसरा संख्या 671, 669/1450, 669, 672, 673 होना अंकित करते हुए कथन किया गया कि पूर्व खसरा संख्या 241 रकबा 5 बिस्वा का बेचान खातेदार हरदेव पुत्र जुवारा जो वादी के पिता थे, उनके द्वारा किया गया तथा प्रतिवादी नारायणदास की माता के पक्ष में यह बेचान किया गया तथा इस

Scanned with CamScanner